

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवासय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6186-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१०

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, अवधि और व्यावृत्ति.
२. परिभाषाएं.
३. आतंकवादी या उच्छेदक कार्यों, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और संगठित अपराधों के लिए दण्ड.
४. कतिपय अप्राधिकृत आयुधों, विस्फोटक पदार्थों आदि को कब्जे में रखने के लिए दण्ड.
५. उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य या उस व्यक्ति की ओर से जिसने कोई आतंकवादी कार्य किया है या उसमें संलग्न है, बे-हिसाब संपत्ति रखने के लिए दण्ड.
६. वर्धित शास्तियां.
७. जानकारी देने की बाध्यता.
८. विशेष न्यायालय.
९. विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.
१०. अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्ति.
११. लोक अभियोजक.
१२. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.
१३. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण की अग्रता.
१४. मामलों को नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति.
१५. अपील.
१६. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.
१७. तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन का प्राधिकार.
१८. तार, संसूचना तथा इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रचालकों को निदेश जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.
१९. प्राधिकार देने के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन.
२०. तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन और प्रकटन का प्रतिषिद्ध होना.
२१. साक्ष्य के विशेष नियम.
२२. पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों का विचार में लिया जाना.
२३. साक्षियों का संरक्षण.
२४. संपत्ति का समपहरण तथा कुर्की.
२५. संहिता के कतिपय उपबंधों का उपान्तरित रूप में लागू होना.
२६. धारा ३ तथा ४ के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा.
२७. किसी अपराध का संज्ञान और उसके संबंध में अन्वेषण.
२८. गिरफ्तारी.
२९. अध्यारोही प्रभाव.
३०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संज्ञान.
३१. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति.
३२. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.
३३. नियमों का विधान सभा के पटल पर रखा जाना.
३४. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१०

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१०.

आतंकवाद एवं संगठित अपराध के निवारण और नियंत्रण के लिए तथा उनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम,
विस्तार, प्रारंभ,
अवधि और व्यावृत्ति.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(४) यह इसके प्रारंभ की तारीख से केवल तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा किन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी और कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन इस अधिनियम के समाप्ति के होते हुए भी—

- (क) इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या इस अधिनियम के अधीन की गई या भुगती गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम समाप्त नहीं किया गया था.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) “दुष्प्रेरित करना” में इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (एक) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इस वास्तविक ज्ञान के साथ संपर्क या सहयोग करना या यह विश्वास रखते हुए कि ऐसा व्यक्ति उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी आतंकवादी कार्य या किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता में किसी भी रीति में लगा है; या
- (दो) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी आतंकवादी कार्य में संलग्न हो, किसी ऐसी जानकारी का हस्तांतरण या प्रकाशन जिससे किसी आतंकवादी कार्य या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता संभाव्य हो, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी आतंकवादी कार्य

में संलग्न हो या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट से अभिप्रेरित हो, किसी दस्तावेज या सामग्री के हस्तांतरण या प्रकाशन या वितरण में संलग्न हो;

- (तीन) किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी आतंकवादी कार्य में संलग्न हो या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट में संलग्न हो, कोई वित्तीय सहायता या अन्य कोई सहायता देना;
- (ख) "संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २);
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा १६ के अधीन नियुक्त किया गया कोई सक्षम प्राधिकारी;
- (घ) "निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई ऐसा क्रियाकलाप जिससे तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है जो,—
- (एक) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से किया गया हो, जिसके बावत् दस वर्ष की पूर्ववर्ती कालावधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई आरोप-पत्र फाइल किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ले लिया हो; या
- (दो) उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी "विधि विरुद्ध संगम" के सदस्य के रूप में या ऐसे विधि विरुद्ध संगम की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से किया गया है, जो उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न है और जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, १९६७ (१९६७ का सं. ३७) की धारा ३ के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किया गया है;
- (ड) "संगठित अपराध" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से और या तो विधिविरुद्ध संगम के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या भय या उत्पीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, धनीय प्रलाभों या उपलब्ध आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये किया गया कोई निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिससे सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा मिलता हो;
- (च) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से अभिप्रेत है दो या अधिक व्यक्तियों का समूह, जो एकल रूप से या सामूहिक रूप से संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त टोली (गैंग) के सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहा हो;
- (छ) "आतंकवाद से प्राप्त आगम" से अभिप्रेत है सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां, जो किसी आतंकवादी कार्य को करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसके अंतर्गत नकदी भी है, और इस बात को विचार में नहीं लाया जाएगा कि ऐसे आगम किस व्यक्ति के नाम में हैं या वे किसके कब्जे में पाए जाते हैं;
- (ज) "सम्पत्ति" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की सम्पत्ति और आस्तियां, चाहे वे मूर्त या अमूर्त, जंगम या स्थावर, भौतिक या अभौतिक हों और ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के हक या उसमें किसी हित के साक्ष्य स्वरूप विलेख और लिखत और इसके अंतर्गत बैंक खाते भी हैं;
- (झ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन गठित विशेष न्यायालय;
- (ञ) "उच्छेदक गतिविधि" से अभिप्रेत है किसी धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आशय से कोई गतिविधि या ऐसी किसी गतिविधि की तैयारी, षडयंत्र या उसका दुष्प्रेरण, जो सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल हो और जो

समाज की एकता, सुरक्षा तथा शांति को किसी भी साधन से, चाहे जो कोई हो, संकट में डालता हो, जो ऐसी रीति में या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से किया जाए, जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति का विनाश या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पूजा स्थलों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक संस्मारकों की हानि या नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए अत्यावश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होना सम्भाव्य है या जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति पहुंचाई जाए;

- (ट) "आतंकवादी कार्य" से अभिप्रेत है, ऐसा क्रियाकलाप जो समाज की एकता, सुरक्षा और शांति को संकट में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से या बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों, या अन्यथा) या ऐसे किन्हीं अन्य साधनों का, जो कोई भी हों, ऐसी रीति से उपयोग करके, ऐसा कोई कार्य या बात या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से की जाए जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पूजा स्थलों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्मारकों की हानि या नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होना सम्भाव्य है या सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए विवश करने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए और ऐसे व्यक्ति को मारने या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाए;

- (ठ) "विधिविरुद्ध संगम" से अभिप्रेत है व्यष्टियों का कोई ऐसा संगम या निकाय, जो—

- (एक) अपने उद्देश्यों के लिए कोई निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या जो किसी निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलापों को करते हैं; या
- (दो) जो अपने उद्देश्यों के लिए भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १५३-क या धारा १५३-ख के अधीन दण्डनीय कोई क्रियाकलाप करता है या जो कोई ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसा कोई क्रियाकलाप करते हैं।

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में दिए गए हैं।

३. (१) जो कोई आतंकवादी या उच्छेदक कार्य या संगठित अपराध कारित करता है या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, वह,—

- (एक) यदि ऐसे कार्य या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा;
- (दो) किसी अन्य दशा में कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(२) जो कोई आतंकवादी या उच्छेदक गतिविधि या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों या कोई संगठित अपराध या आतंकवादी कार्य या निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध की तैयारी का कार्य करने का षडयंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या उसके किए जाने का पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा या उसका किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रुपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

आतंकवादी या उच्छेदक कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और संगठित अपराधों के लिए दण्ड.

- (३) जो कोई किसी उच्छेदक गतिविधियों या संगठित अपराध सिंडिकेट में संलग्न किसी सदस्य या किसी व्यक्ति को जिसने आतंकवादी कार्य किया है जो आतंकवादी कार्य में किसी भी रीति में सहायता करने में संलग्न है, जानबूझकर या स्वेच्छापूर्वक संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रूपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.
- (४) कोई व्यक्ति, जो उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रूपए पांच लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.
- (५) जो कोई आतंकवाद से प्राप्त आगम या ऐसी किसी सम्पत्ति को धारण करता है, जो निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध के कारित होने से व्युत्पन्न हुई है या प्राप्त की गई है, या जिसे उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट या आतंकवादी कृत्य से अर्जित किया गया है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और कम से कम रूपए दो लाख के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

कतिपय अप्राधिकृत आयुधों, विस्फोटक पदार्थों आदि को कब्जे में रखने के लिए दण्ड.

४. जहां किसी व्यक्ति ने या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या अन्यथा आतंकवादी कार्य कारित किया है या जो आतंकवादी या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न रहता है, कोई बम, डायनामाइट या परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या व्यापक विध्वंस करने में सक्षम अन्य प्राणहर शस्त्र या युद्ध के जैविक या रासायनिक पदार्थ को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आतंकवादी कार्य का दोषी होगा और कारावास से जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रूपए दस लाख तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य या उस व्यक्ति की ओर से जिसने कोई आतंकवादी कार्य किया है या उसमें संलग्न है, वे-हिसाब सम्पत्ति रखने के लिए दण्ड.

५. यदि कोई व्यक्ति उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न किसी विधिविरुद्ध संगम या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसने किसी भी समय आतंकवादी कार्य किया है या जो किसी आतंकवादी कार्य में संलग्न है जंगम या स्थावर सम्पत्ति का आधिपत्य रखता है और जिसका वह समाधानप्रद हिसाब न दे सकता हो, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और कम से कम रूपए एक लाख के जुर्माने के लिये भी दण्डनीय होगा और ऐसी सम्पत्ति धारा २४ में यथा उपबन्धित कुर्की और समपहरण के दायित्वाधीन होगी.

वर्धित शास्त्रियां.

६. यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के आशय से जिसने आतंकवादी कार्य किया है या जो आतंकवादी कार्य या उच्छेदक गतिविधियों में संलग्न है, विस्फोटक अधिनियम, १८८४ (१८८४ का सं. ४) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. ६), ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, १९५२ (१९५२ का सं. २०) या आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का सं. ५४) के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

जानकारी देने की बाध्यता.

७. (१) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी के लिखित में पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी बैंक या किसी कंपनी, या किसी फर्म या किसी अन्य संस्था, स्थापना, संगठन या किसी वैयष्टिक से किन्हीं ऐसे बिंदुओं या विषयों पर ऐसे अपराध के संबंध में उनके कब्जे में की जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जहां कि अन्वेषक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है.

(२) उपधारा (१) के अधीन मांगी गई जानकारी देने में असफल रहना या जानबूझ कर मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करना, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(३) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन के अपराधों का विचारण संक्षिप्त मामले के रूप में किया जाएगा और उक्त संहिता के अध्याय-२१ (धारा २६२ की उपधारा (२) को छोड़कर) में विहित की गई प्रक्रिया उसके लिए लागू होगी।

८. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी।

विशेष न्यायालय.

(२) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(३) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी।

(४) कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के अव्यवहित पूर्व सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।

(५) जहां किसी विशेष न्यायालय में कोई अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कामकाज का वितरण स्वयं में और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों में और उसकी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक कामकाज के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा।

९. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया था, या यथास्थिति धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन ऐसे अपराध का विचारण करने के लिये गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.

१०. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय, किसी दूसरे अपराध का, जिसके अभियुक्त को उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोपित किया जाए, विचारण कर सकेगा, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित हो।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्ति.

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के ऐसे व्यक्ति का विचारण कर सकेगा और सिद्धदोष ठहरा सकेगा तथा यथास्थिति इस अधिनियम द्वारा या उसके लिए दण्ड के लिए ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित कर सकेगा।

११. (१) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

लोक अभियोजक.

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या किन्हीं मामलों के समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

(२) कोई व्यक्ति, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय नहीं कर लिया हो।

(३) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा २ के खण्ड (प) के अर्थ के अन्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ.

१२. (१) विशेष न्यायालय, अपने समक्ष विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(२) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा २६० की उपधारा (१) या धारा २६२ में किसी बात के होते हुए भी संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार उस अपराध का विचारण संक्षिप्त रूप से कर सकेगा और संहिता की धारा २६३ से धारा २६५ तक के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे:

परन्तु जब, इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, किसी विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय किन्हीं ऐसे साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और संहिता के उपबंधों द्वारा ऐसे अपराध के विचारण के लिए उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, विशेष न्यायालय के लिए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(३) विशेष न्यायालय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य का प्रकटन कर दे तथा इस प्रकार किया गया क्षमादान संहिता की धारा ३०८ के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा ३०७ के अधीन किया गया क्षमादान समझा जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशेष न्यायालय, के पास किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन हेतु सेशन न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण जहां तक हो सके, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा मानो कि वह सेशन न्यायालय है।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण की अग्रता.

१३. किसी विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय नहीं है) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता प्राप्त होगी और उसका ऐसे अन्य मामले के विचारण पर अधिमान देते हुए निर्णय किया जाएगा तथा तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण प्रास्थगित रहेगा।

मामलों को नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति.

१४. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह अपराध का संज्ञान करने की अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए उस मामले को अभियोजन अधिकरण को लौटा देगा।

अपील.

१५. (१) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(२) परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दण्डादेश या आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.

१६. राज्य सरकार, गृह विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो शासन के सचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, धारा १७ के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

१७. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा तार, इलैक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन के प्राधिकार या अनुमोदन के आदेश के लिए जहां ऐसे अन्तरावरोधन से किसी आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या किसी संगठित अपराध की साक्ष्य उपलब्ध हो सकती हो या उपलब्ध कराई गई है, सक्षम प्राधिकारी को लिखित में एक आवेदन कर सकेगा.

तार इलैक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन का प्राधिकार.

(२) प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात् :—

- (क) आवेदन करने वाले अन्वेषण या विधि प्रवर्तन अधिकारी की पहचान और आवेदन को प्राधिकृत करने वाला विभाग प्रमुख.
- (ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण जिनका आवेदक द्वारा अपने इस विश्वास को न्यायायोजित ठहराने के लिये अवलम्ब लिया गया है कि आदेश जारी किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
 - (एक) उस आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या संगठित अपराध के ब्यौरे, जो किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है;
 - (दो) उन सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति का विशिष्ट वर्णन जिनसे और वह स्थान जहां संसूचना को अन्तरूद्ध किया जाना है.
 - (तीन) उस संसूचना के प्रकार का विशिष्ट वर्णन जिसे अन्तरूद्ध करने का वांछा की गई; और
 - (चार) उस व्यक्ति की पहचान, यदि वह ज्ञात है, जो आतंकवादी कार्य, निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप और संगठित अपराध कर रहा है और जिसकी संसूचना अन्तरूद्ध की जानी है.
- (ग) एक ऐसे विवरण की जांच या गुप्त सूचना एकत्रित करने की अन्य रीति को आजमाया गया है या नहीं और क्या वह असफल हो गई है या नहीं और यदि विचारण किया गया तो सफल होना, सम्भाव्य होना क्यों प्रतीत नहीं होता है या अत्यधिक खतरनाक है या अन्तरावरोधन के कार्य में संलग्न उन व्यक्तियों की पहचान होना सम्भाव्य है;
- (घ) यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि अन्तरावरोधन का प्राधिकार वर्णित प्रकार की संसूचना प्रथम अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्वतः समाप्त नहीं होना चाहिए तो उस समयावधि का विवरण जिसके लिए अंतरावरोधन बनाए रखना अपेक्षित है और यह विश्वास करने का कि इसी प्रकार की अतिरिक्त संसूचनाएं उसके पश्चात् होंगी, अधिसंभाव्य हेतुक स्थापित करने वाले तथ्यों का विशिष्ट वर्णन;
- (ङ) उन तथ्यों का विवरण, जो अन्तरावरोधन के प्राधिकार के लिए या तार, इलैक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन के अनुमोदन के लिए है जिसमें उन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अंतर्ग्रस्त है, आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट सुविधा या स्थान अंतर्विष्ट है, के लिए सक्षम प्राधिकारी को किए गए समस्त पूर्व आवेदन पत्रों से संबंधित, आवेदन करने और अधिकारी को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का कथन और प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही; और
- (च) जहां आवेदन किसी आदेश के विस्तार के लिए है, वहां अन्तरावरोधन से अभिप्राप्त अब तक के परिणाम या ऐसे परिणाम अभिप्राप्त करने में असफलता का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण उपवर्णित करते हुए एक विवरण.

(३) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा.

(४) ऐसे आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या अनुरोध किए गए अनुसार या उपांतरित रूप में, तार, इलैक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित

करने वाला कोई आदेश जारी कर सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि—

- (क) विश्वास करने के लिए अधिसम्भाव्य हेतुक है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा ३ और ४ के अधीन वर्णित और दण्डनीय बनाया गया कोई विशिष्ट अपराध कर रहा है, उसने किया है या करने वाला है;
- (ख) यह विश्वास करने का अधिसम्भाव्य हेतुक है कि इस अपराध से संबंधित विशिष्ट संसूचना ऐसे अंतरावरोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की जा सकती है;
- (ग) जांच और सूचना प्राप्त करने की समान्य रीति को आजमाया जा चुका है और वह असफल रही है या आजमाया गया तो सफल होने की संभावना युक्तियुक्त रूप से प्रतीत नहीं होती या बहुत खतरनाक हो सकती है या अंतरावरोधन के कार्यकरण के साथ जो संबद्ध है, उनकी पहचान प्रकट होना संभाव्य है;
- (घ) यह विश्वास करने के लिए अधिसम्भाव्य हेतुक है कि उन सुविधाओं का, जिनसे या वह स्थान, जहां पर तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं का अंतरावरोधन किया जाना है, ऐसे अपराध को कारित करने के संबंध में उपयोग किया जा रहा है या किया जाना है, ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के नाम पर सूचीबद्ध है या उसके द्वारा सामान्यतः प्रयोग किया जाता है.

(५) इस धारा के अधीन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा,—

- (क) ऐसे व्यक्ति की पहचान, यदि वह ज्ञात है, जिसकी संसूचनाओं को अन्तरूद्ध किया जाना है;
- (ख) ऐसी संसूचना, सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति जिनके बारे में या वह स्थान जहां अन्तरूद्ध करने का प्राधिकार अनुदत्त किया जाता है;
- (ग) अन्तरूद्ध किए जाने के लिये लिखित संसूचना की किस्म का विशिष्ट वर्णन और उस विशिष्ट अपराध का, जिससे वह संबंधित है, विवरण;
- (घ) संसूचनाओं को अन्तरूद्ध करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण की और आवेदन प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की पहचान; और
- (ङ) वह समयावधि जिसके दौरान ऐसा अंतरावरोधन प्राधिकृत किया जाता है, जिसके अन्तर्गत इस बारे में विवरण भी है कि वर्णित संसूचना पहली बार अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसा अंतरावरोधन स्वतः समाप्त हो जाएगा या नहीं.

(६) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (४) के अधीन आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात्, किन्तु किसी भी दशा में आदेश पारित किए जाने के सात दिन के अपश्चात्, उसकी एक प्रति के साथ धारा १९ के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को उक्त आदेश की बाबत सभी सुसंगत कागजपत्र, अभिलेख और उसके अपने निष्कर्ष, पुनर्विलोकन समिति के विचारार्थ और उसके द्वारा किए जाने वाले आदेश के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा.

(७) इस धारा के अधीन, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश में, आवेदक के अनुरोध पर यह निदेश दिया जाएगा कि तार या इलैक्ट्रानिक संसूचना सेवा का कोई प्रदाता, भूमिस्वामी, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति आवेदक को वे सभी जानकारीयां, सुविधाएं और तकनीकी सहायता जो अंतरावरोधन का निर्विघ्न रूप से निष्पादित करने के लिये आवश्यक हैं और ऐसी सेवाओं में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए, देगा जो ऐसी सेवा प्रदाता, भूस्वामी, अभिरक्षक या व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रदान कर रहा है जिसकी संसूचना का अंतरावरोधन किया जाता है.

(८) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई आदेश, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन को, उसके प्राधिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक अवधि से अधिक कालावधि के लिए प्राधिकृत या अनुमोदित नहीं कर सकेगा और किसी भी दशा में या साठ दिन से अधिक नहीं होगी और वह साठ दिन की अवधि उस दिन से ठीक पूर्व के दिन से, जिसको अन्वेषण अधिकारी अथवा विधि प्रवर्तन अधिकारी आदेश के अधीन किसी अन्तरावरोधन को सर्वप्रथम आरंभ करता है या आदेश जारी करने के दस दिन पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगी और किसी आदेश का विस्तारण उपधारा (१) के अनुसार किए गए किसी विस्तार के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने पर ही, मंजूर किया जा सकेगा और ऐसे विस्तार की अवधि उससे अधिक नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी उन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जिनके लिए वह उसे दिया गया था और वह अवधि किसी भी दशा में एक बार में साठ दिन से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक आदेश और उसके विस्तार में यह उपबंध होगा कि अन्तरूद्ध करने का प्राधिकार यथासाध्य शीघ्रता से निष्पादित किया जाएगा और ऐसी भांति या रीति से किया जाएगा जिससे कि उन संसूचनाओं का कम से कम अन्तरावरोधन हो जो इस धारा के अधीन अन्यथा अन्तरावरोधन के अधीन न हो और वह प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति पर या किसी भी दशा में आदेश की कालावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और अन्तरूद्ध संसूचना के किसी विदेशी भाषा के कोड में होने की दशा में अन्तरावरोधन की कालावधि के दौरान उस विदेशी भाषा का विशेषज्ञ या वह कोड युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध न हो तो उस कम से कम अन्तरावरोधन को ऐसे अन्तरावरोधन के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से सिद्ध किया जा सकेगा.

(९) जब कभी अन्तरावरोधन प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश इस धारा के अनुसरण में जारी किया जाता है तब उसमें उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसने आदेश जारी किया है, ऐसी रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसमें यह दर्शित हो कि प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगति हुई है और अनवरत अन्तरावरोधन की आवश्यकता है और ऐसी रिपोर्ट ऐसे अंतरालों पर दी जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी अपेक्षा करे.

(१०) इस धारा के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी पुलिस महानिदेशक, आपराधिक अन्वेषण विभाग या आसूचना की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जो युक्तियुक्त रूप से यह अवधारण करता है कि—

(क) ऐसी आपातस्थिति विद्यमान है जिसमें—

(एक) किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का आसन्न खतरा अंतर्वर्तित है;

(दो) राज्य की सुरक्षा या हित को संकट में डालने वाले षडयंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वर्तित हैं; या

(तीन) संगठित अपराध के लक्षण वाले ऐसे षडयंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वर्तित हैं जिनमें सक्षम प्राधिकारी से, सम्यक् तत्परता से, ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश प्राप्त किए जा सकने के पूर्व, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तरावरोधन किया जाना आवश्यक है; और

(ख) ऐसे आधार हैं जिन पर ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए,

तो वह ऐसे तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अन्तरूद्ध करने के लिए अन्वेषण पुलिस अधिकारी को लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा, यदि अन्तरावरोधन का अनुमोदन करने के किसी आदेश के लिए कोई आवेदन ऐसे अन्तरूद्ध होने के या होना आरंभ होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है.

(११) उपधारा (१०) के अधीन किए गए अन्तरावरोधन के अनुमोदन के लिए किसी आदेश के न होने पर, ऐसा अन्तरावरोधन उस दशा में तुरंत समाप्त हो जाएगा जब ईप्सित संसूचना अभिप्राप्त हो जाती है या जब आदेश के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, जो ऐसे अन्तरूद्ध होने के या होना आरंभ होने के पश्चात्, ७ दिन पूर्ण होने पर जो भी पूर्वतर हो, और अन्तरावरोधन अनुज्ञात करने वाले किसी आवेदन के उपधारा (४) के अधीन, नामंजूर कर दिए जाने की दशा में या उपधारा (१०) के अधीन अनुमोदन के लिये किसी आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने की दशा में, या किसी अन्य दशा में जहां अन्तरावरोधन कोई आदेश जारी किए बिना समाप्त हो जाता है, अन्तरूद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु को इस धारा के अतिक्रमण में अभिप्राप्त किया गया समझा जाएगा.

(१२)(क) इस धारा द्वारा प्राधिकृत किन्हीं साधनों द्वारा अन्तरूद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु यावत्साध्य, टेप या तार या अन्य वैसी ही युक्ति पर ध्वन्यंकित की जाएगी और इस धारा के अधीन तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु का ध्वन्यंकन इस तरह किया जाएगा जिससे कि ध्वन्यंकन को संपादन या अन्य परिवर्तनों से संरक्षित रखा जा सके और आदेश की अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति पर ऐसा ध्वन्यंकन, ऐसा आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके निदेशाधीन मुरहबंद कर दिया जाएगा तथा और ध्वन्यंकन की अभिरक्षा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन रखी जाएगी, और ऐसा ध्वन्यंकन सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा और किसी भी दिशा में दस वर्ष तक रखा जाएगा।

(ख) इस धारा के अधीन किए गए आवेदन और जारी किए गए आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुरहबंद किए जाएंगे और आवेदनों तथा आदेशों की अभिरक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा सक्षम प्राधिकारी निदेश दे और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किए जाएंगे और किसी भी दिशा में दस वर्ष तक रखे जाएंगे।

(१३) संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन के द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा :

परन्तु इस धारा के अनुसरण में अन्तरूद्ध तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु या उससे व्युत्पन्न साक्ष्य, किसी न्यायालय में तब तक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा या किसी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक अभियुक्त को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश और उसके साथ संलग्न आवेदन जिसके अधीन अन्तरावरोधन प्राधिकृत या अनुमोदित किया गया था, की प्रति विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के कम से कम दस दिन पूर्व न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि उक्त दस दिन की कालावधि मामले का विचारण कर रहे न्यायाधीश द्वारा अधित्यजित की जा सकेगी यदि वह पाता है कि विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के दस दिन पूर्व उपरोक्त जानकारी अभियुक्त को देना संभव नहीं था और यह कि अभियुक्त पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने में विलंब से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

- (क) “अन्तरावरोधन” से अभिप्रेत है, तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का किसी इलैक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति के उपयोग के माध्यम से कर्णगत् या अन्य अर्जन;
- (ख) “तार संसूचना” से अभिप्रेत है प्रारंभ स्थल और श्रवण स्थल के बीच (इसमें स्विचन केन्द्र में ऐसे संयोजन का उपयोग सम्मिलित है) तार, केबल या अन्य वैसी ही संयोजन की सहायता से संसूचना के पारेषण के लिये सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से पूर्णतः या भागतः किया गया कर्णगत् पारेषण और इस पद में ऐसी संसूचना का कोई इलैक्ट्रानिक भण्डारण सम्मिलित है;
- (ग) “मौखिक संसूचना” से अभिप्रेत है कोई ऐसी मौखिक संसूचना जो किसी व्यक्ति द्वारा यह प्रत्याशा प्रदर्शित करते हुए उच्चारित की गई है कि ऐसी संसूचना, ऐसी प्रत्याशा को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अधीन अन्तरूद्ध किए जाने के अधीन नहीं है, किन्तु इस पद में कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना सम्मिलित नहीं है;
- (घ) “इलैक्ट्रानिक संसूचना” से किसी तार, रेडियो, विद्युत् चुंबकीय फोटो इलैक्ट्रानिक या फोटो प्रकाशीय प्रणाली द्वारा संपूर्णतः या भागतः पारेषित किसी प्रकार के चिन्हों, संकेतों, रेखनों, प्रतिबिम्बों, ध्वनियों आंकड़ों या आसूचना का ऐसा अन्तरण अभिप्रेत है, जो अन्तर्देशीय या विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करता है किन्तु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

- (एक) डोरीरहित टेलीफोन के रेडियो भाग से वह सूचना, जो बेतार टेलीफोन हैंडसेट और आधारित एकक के बीच पारेषित की गई है; या
- (दो) किसी तार से या कोई मौखिक संसूचना; या
- (तीन) केबल टोन पेंजिगयुक्ति के माध्यम से दी गई कोई संसूचना; या
- (चार) किसी खोजी युक्ति से कोई संसूचना।

१८. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी तार संसूचना या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी प्रचालक को, युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद किसी आपराधिक कृत्य या षडयंत्र के लिये उपयोग में लाये जा रहे तार संसूचना या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी यंत्र को निष्क्रिय करने और ऐसे किसी यंत्र से या यंत्र को काल्स या सूचना का सम्पर्क विच्छेद करने के निदेश देने का आदेश जारी करने के लिये लिखित में सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी उसकी अधिकारिता में प्रचालित तार संसूचना या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के प्रचालकों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तार संसूचना या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना यंत्र का विवरण जिसमें किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति को उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया सिमकार्ड सम्मिलित है, उपलब्ध कराने का निदेश भी दे सकेगा और तार संसूचना या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के ऐसे प्रचालक के लिये उपरोक्त उल्लिखित प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

तार संसूचना तथा इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के प्रचालकों को निदेश जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी जो रूप दो लाख तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

१९. (१) धारा १७ की तथा धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति होगी।

प्राधिकार देने के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन।

(२) पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

- | | | |
|-------|---|----------|
| (एक) | शासन का मुख्य सचिव | अध्यक्ष; |
| (दो) | प्रमुख सचिव, गृह विभाग | सदस्य; |
| (तीन) | प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग | सदस्य। |

(३) धारा १७ या धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का, उसकी प्राप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर पुनर्विलोकन समिति द्वारा, विचार किया जाएगा। धारा १७ की उपधारा (४) या धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेलुलर फोन के अन्तरावरोधन निष्क्रियकरण श्रृंखला विच्छेदन के संबंध में आवेदन करने, प्राधिकृत करने या अनुमोदित करने का आदेश आवश्यक, युक्तियुक्त और न्यायोचित है।

(४) पुनर्विलोकन समिति, संपूर्ण अभिलेख की परीक्षा करने और ऐसी जांच, यदि आवश्यक समझी जाए, के करने के पश्चात् लिखित रूप में आदेश द्वारा या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित करने या उसका अनुमोदन नहीं करने का विनिश्चय कर सकेगी तथा पुनर्विलोकन समिति द्वारा यह विनिश्चय करने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन नहीं करने के आदेश जारी किए जाने पर, पहले से प्रारंभ हुआ अन्तरावरोधन, यदि कोई हो, तुरंत बंद कर दिया जाएगा और टेप, तार या अन्य युक्ति के रूप में अन्तरूद्ध कोई संसूचना, यदि कोई हो, तत्पश्चात् किसी मामले में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी और उसे नष्ट किए जाने का निदेश दिया जाएगा।

२०. धारा १७ में जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी जो—

तार, इलैक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन और प्रकटन का प्रतिषिद्ध होना।

- (क) किसी तार, इलैक्ट्रॉनिक्स या मौखिक संसूचना को साशय अन्तरूद्ध करेगा, अन्तरूद्ध करने का प्रयास करेगा, या अन्तरूद्ध करने या अन्तरूद्ध करने का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा;
- (ख) किसी मौखिक संसूचना को अन्तरूद्ध करने के लिए किसी इलैक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति का साशय उपयोग करेगा, उपयोग करने का प्रयास करेगा या उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास

करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा, जब—

- (एक) ऐसी युक्ति किसी तार, केबल या तार संसूचना में प्रयुक्त अन्य तत्समान संयोजन के साथ लगाई जाती है या उनके माध्यम से कोई संकेत पारेषित किया जाता है; या
- (दो) ऐसी युक्ति रेडियो द्वारा संसूचनाएं पारेषित करती हैं या ऐसी संसूचना के पारेषण में हस्तक्षेप करती हैं;
- (ग) यह जानते हुए या यह जानने का विश्वास रखते हुए कि जानकारी धारा १९ की उपधारा (४) के सात पठित धारा १७ के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;
- (घ) यह जानते हुए या जानने का आशय रखते हुए कि जानकारी होते हुए धारा १९ की उपधारा (४) के सात पठित धारा १७ के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु का साशय उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयास करेगा; या
- (ङ) धारा १७ के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत साधनों से अन्तरावरोधन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु निम्नलिखित के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को—
 - (एक) यह जानते हुए या यह जानने का कारण होते हुए कि जानकारी इस अधिनियम के अधीन किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में ऐसी संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी; या
 - (दो) किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में जानकारी अभिप्राप्त की जा रही है या प्राप्त की गई थी; और
 - (तीन) सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किये गये आपराधिक अन्वेषण को अनुचित रूप से बाधा डालने, अड़चन पैदा करने या हस्तक्षेप करने के आशय से, साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;
- (च) धारा १९ की उपधारा (४) के अधीन पुनर्विलोकन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश का अनुमोदन नहीं करने के विनिश्चय के पश्चात् तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन को साशय जारी रखेगा;

तो ऐसे अतिक्रमण के लिये कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से, दण्डनीय होगा.

साक्ष्य के विशेष नियम.

२१. (१) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन के अपराधों या संबंधित अपराधों के लिये विचारण तथा दण्ड के प्रयोजन के लिये न्यायालय इस तथ्य के मूल्य को विचार में लेगा कि अभियुक्त को—

- (क) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा १०७, १०८ या ११० के अधीन आबद्ध किया गया था;
- (ख) निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया गया था; या
- (ग) किसी पूर्व अवसर पर इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजित किया गया था.

(२) जहां यह साबित किया जाता है कि कोई व्यक्ति संगठित अपराध या आतंकवादी कार्य में लिप्त था उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने किसी भी समय ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति अपने कब्जे में रखी है, संतोषप्रद लेखा उसके पास नहीं है तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि ऐसी संपत्ति या धनसंबंधी संसाधनों को उसने अवैध क्रियाकलापों द्वारा अर्जित या प्राप्त किया था।

(३) जहां यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया है तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने ये फिरौती के लिये किया था।

२२. (१) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई संस्वीकृति और जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में या किसी युक्ति से, जैसे—कैसेट, टेप, साउण्ड ट्रैक, या वीडियो जिससे ध्वनियां या आकृतियां पुनः प्रस्तुत की जा सकती हैं, अभिलिखित की गई हैं, ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारी के विचारण में ग्राह्य होंगी :

पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों को विचार में लिया जाना।

परन्तु सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारी को अभियुक्त के साथ ही उस मामले में आरोपित या विचारित किया जाएगा।

(२) संस्वीकृति उसी भाषा में मुक्त वातावरण में अभिलिखित की जाएगी जिसमें व्यक्ति का परीक्षण तथा उसके द्वारा यथा वाचन किया गया है।

(३) पुलिस अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में यह स्पष्ट करेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो उसका उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा, और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी कोई संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसे यह विश्वास नहीं हो जाता है कि वह स्वेच्छा से की जा रही है और संबंधित पुलिस अधिकारी, ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी संस्वीकृति के स्वेच्छा चरित्र के उसके वैयक्तिक संतुष्टि के बारे में संस्वीकृति के नीचे लिखित में अभिप्रमाणित करते हुए उसकी तारीख तथा समय डालेगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति, उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गई है को तत्काल भेजी जाएगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त की गई अभिलिखित संस्वीकृति को विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(५) ऐसे व्यक्ति को, जिसकी संस्वीकृति उपधारा (१) के अधीन अभिलिखित की गई है, अयुक्तियुक्त विलंब के बिना इलैक्ट्रॉनिक युक्ति पर लिखित या अभिलिखित संस्वीकृति के मूल कथन सहित उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया जाएगा, जिसको कि संस्वीकृति का भेजा जाना उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित है।

(६) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किये गये अभियुक्त द्वारा किये गए कथन को, यदि कोई हो, अन्तःक्षेत्र के रूप में अभिलिखित करेगा तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा यातना की किसी शिकायत की दशा में ऐसे व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से अनिम्न पंक्ति के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये निदेश देगा।

२३. (१) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करता है तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, बंद कमरे में की जा सकेंगी।

साक्षियों का संरक्षण।

(२) विशेष न्यायालय का, उसके समक्ष भी किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने के लिये ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(३) विशिष्टतया और उपधारा (२) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन उपायों में, जिन्हें न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे—

- (क) उस स्थान पर कार्यवाहियों का किया जाना, जिसका विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जाएगा;
- (ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किन्हीं अन्य अभिलेखों में, जो जनता तक पहुंच योग्य हैं, साक्षियों के नाम और पते के उल्लेख से बचना;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निदेश जारी करना जिससे कि साक्षियों की पहचान और पता प्रकट नहीं किए जाएं;
- (घ) यह विनिश्चय करना कि ऐसा आदेश किया जाना लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्यवाही किसी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएगी.

(४) कोई व्यक्ति जो उपधारा (३) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय या जारी किये गये निदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

संपत्ति का
समपहरण तथा
कुर्की.

२४. (१) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये सिद्धोष ठहराया गया है वहां, विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि अभियुक्त की धारा २१ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर, या दोनों, और जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, यथास्थिति, राज्य सरकार को, सभी विल्लंगमों से मुक्त समपहत हो जाएंगी.

(२) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी कि उसकी सभी या कोई संपत्तियां, जंगम या स्थावर, या दोनों, और जो धारा २१ की उपधारा में यथाविनिर्दिष्ट है, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क कर ली जाएं, यदि वे इस अधिनियम के अधीन पहले से की कुर्क नहीं की गई हैं, और यदि ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि में होता है तो इस प्रकार कुर्क की गई संपत्तियां सभी विल्लंगमों से मुक्त समपहत हो जाएंगी.

(३) (क) यदि धारा १७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षणीय अधिकारी के अनुमोदन से अन्वेषणकर्ता किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में कोई रिपोर्ट की जाती है, तो उस पर किसी विशेष न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है और वह फरार है या अपने को इस वजह से छिपा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा ८२ में किसी बात के होते हुए भी, उससे यह अपेक्षित करते हुए एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करवा सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थान तथा विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित हो जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के पूर्व की न हो और तीस दिन के बाद न हो :

परन्तु यदि संबंधित अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, उस अभियुक्त को, जो फरार है तथा अपने को छिपा रहा है, उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत अपराध की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर गिरफ्तार करने में असफल रहता है तो उक्त कालावधि जारी करने हेतु विशेष न्यायालय को रिपोर्ट देगा.

(ख) खण्ड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर या दोनों को किसी भी समय कुर्की का आदेश कर सकेगा और तत्पश्चात् संहिता की धारा ८३ से ८५ के उपबंध ऐसी कुर्की पर ऐसे लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कुर्की उस संहिता के अधीन की गई थी.

(ग) यदि कुर्की की तारीख से छह मास के भीतर, कोई व्यक्ति जिसकी कि सम्पत्ति राज्य सरकार के नियंत्रण में है या नियंत्रण में रही है, स्वैच्छया उपस्थित हो जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उस विशेष न्यायालय

के, जिसके कि आदेश से सम्पत्ति कुर्क की गई थी या ऐसे न्यायालय के, जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है, समक्ष बुलाया जाता है और ऐसे न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने गिरफ्तारी की अवहेलना के प्रयोजन से स्वयं को छिपाया नहीं था और उसे उद्घोषणा का ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था जिससे कि वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में समर्थ हो सके तो ऐसी सम्पत्ति या यदि उसे विक्रीत कर दिया गया है तो उसके सकल आगम और अवशिष्ट सम्पत्ति, यदि कोई हो, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत समस्त व्ययों का भुगतान करने के पश्चात्, उसे प्रदत्त कर दी जाएगी।

२५. (१) संहिता की किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, संहिता की धारा २ के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और “संज्ञेय मामले” का, जैसा वह उस खण्ड में परिभाषित है, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना।

(२) संहिता की धारा १६७ ऐसे मामले के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अन्तर्वर्तित है, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उपधारा (२) में,—

(क) “पन्द्रह दिन” और “साठ दिन” के प्रति निर्देशों का, जहां-जहां वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः “तीस दिन” और “नब्बे दिन” के प्रति निर्देश हैं;

(ख) परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरी करना संभव नहीं है, तो विशेष न्यायालय, अन्वेषण की प्रगति को और नब्बे दिन की उक्त अवधि से परे अभियुक्त के निरोध के लिये विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित कर सकेगा.”

(३) संहिता की धारा ४३८ की कोई भी बात ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने के अभियोग से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वर्तित है।

(४) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियुक्त के किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंध पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया है; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उक्त अपराध करने का दोषी नहीं है, तथा जब तक वह जमानत पर है, किसी अपराध को करने की संभावना नहीं है।

(५) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, यदि न्यायालय को यह सूचना है कि इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन वह प्रश्नगत अपराध के किए जाने की तारीख को जमानत पर था।

(६) उपधारा (४) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किये जाने की परिसीमाएं, जमानत मंजूर किये जाने से संबंधित संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

(७) पूर्व अभ्यारोहण या पूर्व विचारण परिप्रश्न के लिये किसी व्यक्ति की अभिरक्षा चाहने वाला कोई पुलिस अधिकारी, ऐसी अभिरक्षा चाहने के लिये तथा पुलिस अभिरक्षा में रखने में हुए विलम्ब के लिये भी, यदि कोई हो, कारण स्पष्ट करते हुए लिखित कथन दाखिल करेगा।

धारा ३ तथा ४ के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा.

२६. (१) धारा ३ तथा ४ के अधीन दंडनीय आतंकवादी कार्य या निरंतर विधिविरुद्ध कार्यकलापों या संगठित अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि—

- (क) जिनमें विधिविरुद्ध आयुध तथा अन्य सामग्री दस्तावेज और शपथपत्र सम्मिलित हैं, अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे दस्तावेज तथा कागजपत्र सहित ऐसे विधिविरुद्ध आयुध तथा सामग्री ऐसे अपराध के किए जाने में प्रयोग में लाए गए हैं; या
- (ख) विशेषज्ञ की साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की अंगुलियों की छाप अपराध स्थल पर या किसी ऐसी चीज पर पाए गए थे, जिनमें दस्तावेज या कागजपत्र और यानों सहित ऐसे विधिविरुद्ध आयुध तथा कागजपत्र सम्मिलित हैं, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के संबंध में किया गया था;

तो विशेष न्यायालय, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया था.

(२) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने आतंकवादी कार्य विधिविरुद्ध क्रियाकलापों या संगठित अपराध कारित किया है, वित्तीय सहायता दी है, तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपधारा (२) के अधीन अपराध कारित किया है.

किसी अपराध का संज्ञान और उसके संबंध में अन्वेषण.

२७. (१) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी की, जो उप पुलिस महानिरीक्षक से निम्न पद श्रेणी का न हो, पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिनियम के अधीन आतंकवादी कार्य या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप या संगठित अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी सूचना, अभिलिखित नहीं की जाएगी;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण, उप पुलिस अधीक्षक की रैंक से निम्न रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(२) कोई भी विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी ऐसे पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा जो पुलिस महानिदेशक की रैंक से निम्न का न हो.

गिरफ्तारी.

२८. (१) जहां कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अभिरक्षा ज्ञापन तैयार करेगा.

(२) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने लाए जाने पर यथाशीघ्र अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार के संबंध में सूचित किया जाएगा.

(३) जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा उसके परिवार के सदस्य को या उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा नामित किसी रिश्तेदार को टेलीग्राम, टेलीफोन या अन्य किसी साधन से तत्काल दी जाएगी तथा इस तथ्य को पुलिस अधिकारी द्वारा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर से अभिलिखित किया जाएगा.

(४) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी पूछताछ के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करने वाले विधि व्यवसायी से मिलने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी विधि व्यवसायी को पूछताछ की पूर्ण कालावधि में उपस्थित रहने के लिए हकदार नहीं बनाएगी.

अध्यारोही प्रभाव.

२९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किसी ऐसे नियम के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या किसी ऐसी अन्य विधि का प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे.

३०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी ऐसे नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
३१. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों से संबंधी इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा कि वह आवश्यक समझे, नियम बना सकेगा। उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति।
३२. धारा २९ के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
३३. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा। नियमों का विधान सभा के पटल पर रखा जाना।
३४. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन.

आतंकवाद ने आज अंतर्राष्ट्रीय आकार धारण कर लिया है, जिसमें आतंकवादी संगठन देश तथा राष्ट्रों के पार अपने माइयूल, स्लीपर, एजेन्ट तथा समर्थक संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आतंकवाद का फैलाव हमारे समाज की एकता, शांति तथा धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए गंभीर रूप से संकट उत्पन्न कर रहा है। संगठित अपराध भी अब बहुत गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है, इसकी कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं तथा ठेके से हत्या, उद्घाटन, लूट, विनिषिद्ध तस्करी, स्वापक पदार्थ, आयुधों तथा विस्फोटकों में अवैध व्यापार, मुक्तिधन के लिए व्यपहरण, संरक्षाधन का संग्रहण तथा मनी लांडरिंग आदि द्वारा अर्जित अवैध धन द्वारा घटित होता है। संगठित अपराध से अर्जित अत्यधिक अवैध धन तथा काले धन का हमारी अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव है। यह भी देखा गया है कि संगठित आपराधिक सिंडीकेट ने आतंकवादी सज्जा तथा स्वापी आतंकवाद और आयुधों के अवैध व्यापार को प्रोन्नत कर एक सामान्य हेतुक रखा है जिसका विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। यह विश्वास करने के विश्वासप्रद कारण हैं कि उच्छेदक तत्व तथा संगठित अपराधी समाज के लिए गंभीर संकट बन गए हैं और यह अति आवश्यक है कि उनकी गतिविधियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए।

२. यह भी ध्यान में आया है कि आतंकवादी सज्जा, अवैध संगठनों तथा संगठित आपराधिक सिंडीकेटों द्वारा तार, इलैक्ट्रानिक तथा मौखिक संसूचना व्यवस्था का उनकी विध्वंसकारी तथा आपराधिक गतिविधियों में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अपराधों को किए जाने का साक्ष्य अभिप्राप्त करने या उनके किए जाने को रोकने में ऐसी संचार व्यवस्था का अवरोधन, विधि के प्रवर्तन तथा न्याय प्रशासन के लिए अपरिहार्य रूप से सहायक होगा।

३. अतएव, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि आतंकवाद, उच्छेदक तथा संगठित आपराधिक गतिविधियों के खतरे को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए वर्तमान विधिक संरचना अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि और न्यायनिर्णायक तंत्र को मजबूत करने हेतु कठोर तथा प्रतिरोधक उपबंधों सहित एक विशिष्ट विधि अधिनियमित की जाए।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २४ फरवरी २०१०.

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१० के खण्ड-८ में एक या अधिक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव है। जिसके संदर्भ में स्थापित होने वाले विशेष न्यायालयों एवं वेतन भत्तों आदि पर आवर्ती व्यय के रूप में रुपये १४,४०,५५,०००/- (रुपये चौदह करोड़, चालीस लाख, पचपन हजार) व अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये ९८,७०,०००/- (रुपये अठानवे लाख, सत्तर हजार) का वार्षिक व्यय भार आना संभावित है।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

- खण्ड १(४)— अधिनियम के प्रवर्तन रहने की तीन वर्ष की कालावधि को अधिसूचना द्वारा यथानिर्दिष्ट और कालावधि के लिए बढ़ाये जाने;
- खण्ड ८(१)— अधिसूचना द्वारा किन्हीं क्षेत्रों और मामलों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाने;
- खण्ड ८(२)— न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अंतिम विनिश्चय किए जाने;
- खण्ड ८(५)— विशेष न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, कामकाज का वितरण एवं न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की दशा में कामकाज के निपटारा किये जाने;
- खण्ड ११— अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने;
- खण्ड १२(४)— सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार विशेष न्यायालय को विचारण हेतु शक्तियां प्रदान किए जाने;
- खण्ड २५(२)— अन्वेषण हेतु विहित अवधि में अन्वेषण पूर्ण न होने की दशा में लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर अन्वेषण की अवधि विस्तारित किये जाने;
- खण्ड ३२. अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए;
- खण्ड ३४. अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कठिनाइयों को दूर किये जाने;

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1911-104-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 3 of 2010.

THE MADHYA PRADESH AATANKVADI EVAM UCHHEDAK GATIVIDHIYAN TATHA
SANGATHIT APRADH NIYANTRAN VIDHEYAK, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Clauses :

1. Short title, extent, commencement, duration and savings.
2. Definitions.
3. Punishment for terrorist or subversive acts, continuing unlawful activities and organised crimes.
4. Punishment for possession of certain unauthorised arms, explosives, etc.
5. Punishment for possessing unaccounted wealth on behalf of a member of an unlawful association engaged in subversive activities or organised crime syndicate or a person who has committed or is engaged in a terrorist act.
6. Enhanced penalties.
7. Obligation to furnish information.

8. Special courts.
9. Jurisdiction of special courts.
10. Power of special courts with respect to other offences.
11. Public Prosecutor.
12. Procedure and powers of special courts.
13. Trial by special courts to have precedence.
14. Power to transfer cases to regular courts.
15. Appeal.
16. Appointment of Competent Authority.
17. Authorisation of interception of wire, electronic or oral communication.
18. Power of Competent Authority regarding issuance of directives to the operators of wire communication and electronic communication.
19. Constitution of Review Committee for review of authorisation orders.
20. Interception and disclosure of wire, electronic or oral communications prohibited.
21. Special rules of evidence.
22. Certain confessions made to Police Officer to be taken into consideration.
23. Protection of witnesses.
24. Forfeiture and attachment of property.
25. Modified application of certain provisions of the Code.
26. Presumption as to offences under section 3 and section 4.
27. Cognizance of, and investigation into an offence.
28. Arrest.
29. Overriding effect.
30. Protection of action taken in good faith.
31. Power of High Court to make rules.
32. Power of State Government to make rules.
33. Rules to be laid on table of Legislative Assembly.
34. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH BILL

No. 3 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH AATANKVADI EVAM UCHHEDAK GATIVIDHIYAN TATHA SANGATHIT APRADH NIYANTRAN VIDHEYAK, 2010.

A Bill to make special provisions for prevention and control of and for dealing effectively with terrorist and subversive activities and organised crime and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent,
commencement,
duration and
savings

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Aatankvadi Evam Uchhedak Gatividhiyan Tatha Sangathit Apradh Niyantran Adhiniyam, 2010.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(4) It shall remain in force for a period of three years only from its commencement, but the State Government may, by notification issued from time to time, direct that it shall remain in force for such further period as specified in the notification.

(5) Notwithstanding the expiry of this act under sub-section (4), it shall not affect.—

- (a) the previous operation of or anything duly done or suffered under this Act; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under this Act; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence under this Act; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not expired.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “abet” with its grammatical variations and cognate expressions includes,—

- (i) the communication or associaton with any person with the actual knowledge or having reason to believe that such person is engaged in assisting in any manner, a terrorist act or an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate; or
- (ii) the passing on or publication of without any lawful authority, any information likely to assist a person who is engaged in a terrorist act or an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate and the passing on or publication or distribution of any document or matter obtained from a person who is engaged in a terrorist act or an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate; or
- (iii) the rendering of any assistance, whether financial or otherwise to any person who is engaged in a terrorist act or an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate;

(b) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(c) “Competent Authority” means the Competent Authority appointed under Section 16;

(d) “continuing unlawful activity” means an activity prohibited by law for the time being in force, which constitutes a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more,—

(i) undertaken either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheet have been filed before a competent court within the preceding period of ten years and that court has taken cognizance of such offence; or

(ii) undertaken either singly or jointly, as a member of an “unlawful association” engaged in subversive activities or on behalf of such association which has been declared unlawful under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) and which is engaged in subversive activities;

(e) “organized crime” means any continuing unlawful activity by a person, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate or either as a member of an or on behalf of such an unlawful association engaged in subversive activities by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits, or gaining undue economic or other advantage for himself or promotes armed rebellion;

- (f) "organised crime syndicate" means a group of two or more persons who, acting either singly or collectively, as a syndicate of gang indulge in activities of organised crime;
- (g) "proceeds of terrorism" means all kinds of properties which have been derived or obtained from commission of any terrorist act or have been acquired through funds traceable to a terrorist act, and shall include cash irrespective of person in whose name such proceeds are standing or in whose possession they are found;
- (h) "property" means property and assets of every description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible and deeds and instruments evidencing title of, or interest in, such property or asset and includes bank account;
- (i) "special court" means the special court constituted under Section 8;
- (j) "subversive activity" means an activity or preparation, conspiracy or abetment of any activity, undertaken either singly or jointly, with intent to promote enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth and residence which is prejudicial to maintenance of harmony and threatens the unity, security and peace of the society by means, whatsoever, in such a manner as to cause or likely to cause, death or injuries to any person or persons or loss of, or damaged to, or destruction of property or vital installations or places of worships or historical and archaeological monuments or disruption of any supplies or services essential to the life of the community;
- (k) "terrorist act" means an activity undertaken either singly or jointly with intent to threaten the unity, security and peace of the society or to strike terror in the people or any section of the people or any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive substance or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or by any other substances (whether biological or otherwise) of a hazardous nature or by any other means, whatsoever, in such a manner as to cause or likely to cause, death or injuries to any person or persons or loss of, or damage to or destruction of property or vital installations or places of worships or historical and archeological monuments or disruption of any supplies or services essential to the life of the community or detention or any person with threat to kill or injure such person in order to compel the Government or any other person to do or abstain from doing any act;
- (l) "unlawful association" means an association or body of individuals,—
- (i) which has for its objects doing of any continuing unlawful activity or which encourages or aids persons to undertake any continuing unlawful activity, or the members of which undertake such activity; or
 - (ii) which has for its objects any activity which is punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or the members of which undertake any such activity.
- (2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. (1) Whoever commits a terrorist or subversive act or organised crime or engages in continuing unlawful activities,—

Punishment for terrorist or subversive acts, continuing unlawful activities and organised crimes.

(i) if such act or continuing unlawful activities has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs;

(ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine.

(2) Whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets or knowingly facilitates the commission of terrorist or subversive act or continuing unlawful activities or an organised crime or any act preparatory to terrorist act or continuing unlawful activities or organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine, subject to a minimum of rupees five lacs.

(3) Whoever knowingly and voluntarily harbours or conceals or attempts to harbour or conceal, any member engaged in subversive activities or organised crime syndicate or any person who has committed a terrorist act or is engaged in assisting in any manner a terrorist act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(4) Any person who is a member of an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum of rupees five lacs.

(5) Whoever holds proceeds of terrorism or any property derived or obtained from commission of a continuing unlawful activity or an organised crime or which has been acquired through an unlawful association engaged in subversive activities or organised crime syndicate or a terrorist act shall be punishable with a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees two lacs.

4. Where any person, who either in person or as a member of an unlawful association or organised crime syndicate or otherwise has committed or engaged in a terrorist or subversive act, is in unauthorised possession of any bomb, dynamite or hazardous explosive substances or other lethal weapons capable of mass destruction or biological or chemical substances of warfare, he shall be guilty of terrorist act notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and with fine which may extend to rupees ten lacs or with both.

Punishment for possession of certain unauthorised arms, explosives etc.

5. If any person on behalf of a member of an unlawful association engaged in subversive activities or an organised crime syndicate or on behalf of a person who has committed or is engaged in a terrorist act at any time, has been in possession of movable or imovable property which he cannot satisfactorily account for, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees one lac and such property shall also be liable for attachment and forfeiture as provided in Section 24.

Punishment for possessing unaccounted wealth on behalf of a member of an unlawful association engaged in subversive activities or organised crime syndicate or a person who has committed or is engaged in a terrorist act.

Enhanced penalties.

6. If any person with intent to aid any person who has committed or engaged in a terrorist or subversive act, contravenes any provision of, or any rule made under the explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908), the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952) or the Arms Act, 1959 (54 of 1959), he shall, notwithstanding anything contained in any of the aforesaid Acts or the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine.

Obligation to furnish information.

7. (1) Notwithstanding anything contained in any other law, the officer investigating any offence under this Act, with prior approval in writing of an officer not below the rank of Superintendent of Police, may require any officer or authority of the Central Government or State Government or a local authority or a bank, or a company, or a firm or any other institution, establishment, organisation or any individual to furnish information in their possession in relation to such offence, on points or matters, where the investigating officer has reason to believe that such information will be useful for, or relevant to the purposes of this Act.

(2) Failure to furnish the information called for under sub-section (1), or deliberately furnishing false information shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code, the offence under sub-section (1) shall be tried as a summary case and the procedure prescribed in Chapter XXI of the said Code (except sub-section (2) of section 262) shall be applicable thereto.

Special courts.

8. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, constitute one or more special courts for such area or areas, or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification.

(2) Where any question arises as to the jurisdiction of any special court, it shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

(3) A special court shall be presided over by a judge to be appointed by the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, and the State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, additional judges to exercise jurisdiction of a special court.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a judge or an additional judge of a special court, unless he immediately before such a appointment, is a sessions judge or an additional sessions judge.

(5) Where any additional judge is or additional judges are appointed in a special court, the judge of the special court may, from time to time, by general or special order in writing, provide for the distribution of the business of the special court among himself and the additional judge or additional judges and also for the disposal of urgent business in the event of his absence or the absence of any additional judge.

Jurisdiction of special courts.

9. Notwithstanding anything contained in the Code, every offence punishable under this Act shall, be triable only by the special court within whose local jurisdiction it was committed or as the case may be, by the special court constituted for trying such offence under sub-section (1) of Section 8.

Power of special courts with respect to other offences.

10. (1) When trying any offence punishable under this Act, a special court may also try any other offence with which the accused may, under the Code, be charged at the same trial, if the offence is connected with such other offence.

(2) If in the course of any trial of any offence under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence under this Act or under any other law, the special court may, try and convict, such person of such other offence and may pass any sentence authorised by this Act or, as the case may be, such other law for the punishment thereof.

11. (1) For every special court, the State Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutor:

Public
Prosecutor.

Provided that the State Government may also appoint for any case or group of cases, a Special Public Prosecutor.

(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Public Prosecutor, an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor, unless he has been in practice as an advocate for not less than ten years.

(3) Every person appointed as a Public Prosecutor, or Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code, and the provisions of the Code shall have effect accordingly.

12. (1) A special court may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon a police report of such facts.

Procedure and
powers of special
courts.

(2) Where an offence triable by a special court is punishable with imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, the special court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provision of section 263 to 265 of the Code shall, so far as may be, apply to such trial:

Provided that if during the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the special court that the nature of the case is such that it is undesirable to try it in a summary way, the special court shall recall any witnesses who may have been examined earlier and proceed to re-hear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to in relation to a special court as they apply to in relation to a Magistrate:

Provided further that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for a special court to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding two years.

(3) A special court may, with a view to obtain the evidence of any person, supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

(4) Subject to other provisions of this Act, a special court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Sessions and shall try such offence as if it were a Court of Sessions, so far as may be, in accordance with the procedure prescribed in the Code for the trial before a Court of Sessions.

13. The trial of any offence under this Act by a special court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other court (not being a special court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case and accordingly the trial of such other cases shall remain in abeyance.

Trial by special
courts to have
precedence.

Power to transfer cases to regular courts.

14. Where after taking cognizance of an offence, a Special court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall return the case to the prosecuting agency for presenting the case before the competent court having jurisdiction to take cognizance of the offence. The time consumed in this process shall be excluded for the purpose of limitation.

Appeal.

15. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a special court to the High Court.

(2) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), every appeal against judgment, sentence or order passed by the special court be preferred within ninety days from the date of such judgment, sentence or order.

Appointment of Competent Authority.

16. The State Government may appoint an officer, of Home Department not below the rank of Secretary to Government, to be the Competent Authority for the purposes of section 17.

Authorisation of interception of wire, electronic or oral communication.

17. (1) A police officer not below the rank of Superintendent of Police supervising the investigation of a terrorist act, continuing unlawful activity or an organised crime under this Act may submit an application in writing to the Competent Authority for an order authorising or approving the interception of wire, electronic or oral communication by the investigating officer where such interception may provide or has provided evidence of any offence involving a terrorist act, continuing unlawful activity or an organised crime.

(2) Each application shall include the following information, namely :—

- (a) the identity of the investigating or law enforcement officer making the application, and the head of the department authorising the application;
- (b) a statement of the facts and circumstances relied upon by the applicant to justify his belief that an order should be issued, including-
 - (i) details as to the offence of terrorist act, continuing unlawful activity or organised crime that has been, is being, or is about to be committed;
 - (ii) a particular description of the nature and location of the facilities from which or the place where the communication is to be intercepted;
 - (iii) a particular description of the type of communications sought to be intercepted; and
 - (iv) the identity of the person, if known, committing the offence of terrorist act, continuing unlawful activity and organised crime whose communications are to be intercepted;
- (c) a statement as to whether or not other modes of enquiry or intelligence gathering have been tried and failed or why they reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous or are likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;
- (d) a statement of the period of time for which the interception is required to be maintained, if the nature of the enquiry is such that the authorization of interception should not automatically terminate after the described type of communication has been first obtained, and a particular description of facts establishing probable cause to believe that additional communications of the same type will occur thereafter;

- (e) a statement of the facts concerning all previous applications, known to the officer authorizing and making the application, made to the Competent Authority for authorization to intercept, or for approval of interceptions of, wire, electronic or oral communications involving any of the same persons, facilities or places specified in the application and the action taken by the Competent Authority on each such application; and
- (f) where the application is for the extension of an order, a statement setting forth the results thus far obtained from the interception, or a reasonable explanation of the failure to obtain such result.

(3) The Competent Authority may require the applicant to furnish additional oral or documentary evidence in support of the application.

(4) Upon such application, the Competent Authority may, after recording the reasons in writing, reject the application, or issue an order, as requested or a modified, authorising or approving interception of wire, electronic or oral communications, if the Competent Authority, on the basis of the facts submitted by the applicant is satisfied that -

- (a) there is a probable cause for belief that an individual is committing, has committed, or is about to commit a particular offence described and made punishable under section 3 and 4 of this Act;
- (b) there is a probable cause for belief that particular communications concerning that offence will be obtained through such interception;
- (c) normal modes of inquiry and intelligence gathering have been tried and have failed, or reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous or is likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;
- (d) there is probable cause for belief that the facilities from which, or the place where, the wire, electronic or oral communications are to be intercepted or be used or are about to be used, in connection with the commission of such offence, is leased to, or listed in the name of or commonly used by such person.

(5) Each order by the Competent Authority authorizing or approving the interception of any wire, electronic or oral communication under this section shall specify :—

- (a) the identity of the person, if known, whose communications are to be intercepted;
- (b) the nature, and location of the communication facilities as to which, or the place where, the authority to intercept is granted;
- (c) a particular description of the type of communication sought to be intercepted, and a statement of the particular offence to which it relates;
- (d) the identity of the agency authorized to intercept the communications, and of the person authorizing the application; and
- (e) the period of time during which such interception is authorized, including a statement as to whether or not the interception shall automatically terminate when the described communication has been first obtained.

(6) The Competent Authority shall immediately after passing the order under sub-section (4), but in any case not later than seven day from the passing of the order, submit a copy of the same to the Review Committee constituted under section 19 along with all the relevant papers, record and his own findings etc in respect of the said order, for consideration and approval of the order by the Review Committee.

(7) An order authorizing the interception of a wire, electronic or oral communication under this section shall, upon request of the applicant, direct that a provider of wire or electronic communication service, landlord, custodian or other person shall furnish to the applicant forthwith all information, facilities, and technical assistance necessary to accomplish the unobstructed interception, and with minimum of interference with the services that such service provider, landlord, custodian, or person is providing to the person whose communication are intercepted.

(8) An order issued under this section may authorize or approve the interception of any wire, electronic or oral communication for any period no longer than is necessary to achieve the objective of the authorization, and in any event not longer than sixty days, and such sixty days period shall begin on the day immediately preceding the day on which the investigating or law enforcement officer first begins to conduct an interception under the order or ten days after the order is issued, whichever is earlier, and extension of an order may be granted, but only upon an application for an extension being made in accordance with sub-section (1), and the period of extension shall be no longer than the Competent Authority deems necessary to achieve the purposes for which it was granted and in no event for a period longer than sixty days at a time, and every order and extension thereof shall contain a provision that the authorization to intercept any event shall be executed as soon as practicable and shall be conducted in such a way or manner as to minimize the interception of communications not otherwise subject to interception under this section and shall terminate upon attainment of the authorised objective, or in any event on expiry of the period of the order, and in the event the intercepted communication is in a code of foreign language and an expert in that foreign language or code is not reasonably available during the interception period, minimization may be accomplished as soon as practicable after such interception.

(9) Whenever an order authorizing interception is issued pursuant to provisions of this section, the order may require reports to be made to the Competent Authority who issued the order showing that progress has been made towards achievement of the authorized objective and the need for continued interception and such reports shall be made at such intervals as the Competent Authority may require.

(10) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, an officer not below the rank of Inspector General of Police, Criminal Investigation Department or Intelligence who reasonably determines that—

- (a) an emergency situation exists that involves—
 - (i) immediate danger of death or serious physical injury to any person;
 - (ii) conspiratorial activities threatening the security or interest of the State; or
 - (iii) conspiratorial activities characteristic of organized crime that requires a wire, electronic or oral communication to be intercepted before an order from the Competent Authority authorizing such interception can, with due diligence, be obtained; and
- (b) there are grounds upon which an order could be issued under this section to authorize such interception, he may authorize, in writing, the investigating police officer to intercept such wire, electronic or oral communication, if an application for an order, approving the interception is made in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (2) within forty-eight hours after the interception has occurred, or begins to occur.

(11) In the absence of an order approving the interception made under sub-section (10), such interception shall immediately terminate when the communication sought is obtained or when the application for the order is rejected, or on completion of 7 days after the interception has occurred or has begun to occur, whichever is earlier, and in the event where an application for permitting interception is rejected under sub-section (4) or an application under sub-section (10) for approval is rejected, or in any other case where the interception is terminated without an order having been issued, the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted shall be treated as having been obtained in violation of this section.

(12) (a) The contents of any wire, electronic or oral communication intercepted by any means authorized under this section shall, if possible, be recorded on tape or wire or other comparable device, and recording of the contents of any wire, electronic or oral communication under this sub-section shall be done in such a way as to protect the recording from editing or other alterations and immediately upon the expiration of the period of order, or extension thereof, such recordings shall be made available to the Competent Authority issuing such order and shall be sealed under his directions, and custody of the recording shall be subject to the order of the Competent Authority and it shall not be destroyed except upon an order of the Competent Authority and in any event shall be kept for ten years.

(b) Applications made and orders issued under this section shall be sealed by the Competent Authority, and custody of the applications and orders shall be kept in such manner as the Competent Authority directs, and shall not be destroyed except on an order of the Competent Authority, and in any event shall be kept for ten years.

(13) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the time being in force, the evidence collected through the interception of wire, electronic or oral communication under this section shall be admissible as evidence against the accused in the Court during the trial of a case:

Provided that the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted pursuant to authorisation under this section or evidence derived therefrom shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any trial, hearing or other proceedings in any court unless each accused, not less than ten days before trial, hearing or proceeding, has been furnished with a copy of the order of the Competent Authority, and accompanying application, under which the interception was authorised or approved:

Provided further that the above said ten days period may be waived by the judge, trying the matter, if he finds that it was not possible to furnish the accused with the above information ten days before the trial, hearing or proceeding and that the accused will not be prejudiced by the delay in receiving such information.

Explanation.—For the purposes of this section—

- (a) “interception” means the aural or other acquisition of the contents by wire, electronic or oral communication through the use of any electronic, mechanical or other device;
- (b) “wire communication” means any aural transfer made in whole or part through the use of facilities for the transmission of communication by the aid of wire, cable or other like connection between the point of origin and the point of reception (including the use of such connection in switching station) and such term includes any electronic storage of such communication;
- (c) “oral communication” means any oral communication uttered by a person exhibiting an expectation that such communication is not subject to interception under circumstances justifying such expectation but such term does not include any electronic communication;

- (d) “electronic communication” means any transfer of signs, signals, writings, images, sounds, data or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photo electronic or photo optical system that affects inland or foreign commerce but does not include—
- (i) the radio portion of a cordless telephone communication that is transmitted between the wireless telephone hand-set and the base unit;
 - (ii) any wire or oral communication;
 - (iii) any communication made through a tone only paging device; or
 - (iv) any communication from a tracking device.

Power of Competent Authority regarding issuance of directives to the operators of wire communication and electronic communication.

18. (1) A police officer not below the rank of a Superintendent of Police supervising the investigation of a crime under this Act may submit an application in writing to the Competent Authority for issue of an order directing any operator of wire communication or electronic communication to de-activate any device of wire communication or electronic communication and de-link the calls or information from or to any such device, reasonably suspected of being used for any criminal act or conspiracy, and the Competent Authority may also direct the operators of wire communication or electronic communication operating in its jurisdiction, by a general or special order, to provide the details of wire communication or electronic communication devices including sim cards provided by them to a particular or persons during a particular period and it shall also be mandatory for such operator or wire communication or electronic communication to provide the required information to the above mentioned authority immediately.

(2) Any person violating any directions given under sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and with a fine which may extend to rupees two lacs.

Constitution of Review Committee for review of authorisation orders.

19. (1) There shall be a Review Committee to review every order passed by the Competent Authority under section 17 and sub-section (1) of Section 18.

(2) The Review Committee shall consist of the following members, namely :—

- (i) the Chief Secretary to Government . . . Chairman;
- (ii) the Principal Secretary, Home Department . . . Member;
- (iii) the Principal Secretary, Law and . . . Member.

Legislative Affairs Department.

(3) Every order passed by the Competent Authority under section 17 or sub-section (1) of Section 18 shall be considered by the Review Committee within ten days after its receipt, as to whether the order authorising or approving the application under sub-section (4) of Section 17 or an order under sub-section (1) of Section 18 for interception, deactivation, de-linking of any device of wire communication or electronic communication passed by the Competent Authority is necessary, reasonable and justified.

(4) The Review Committee, after examining the entire record and holding such enquiry, if any deemed necessary, may, by order in writing, either approve the order passed by the Competent Authority or may decide not to approve the same, and on a decision by the Review Committee,

not to approve the order of Competent Authority, the interception, if any, already commenced shall be forthwith discontinued and the intercepted communication, if any, already commenced shall be forthwith discontinued and the intercepted communication, if any, in the form of tape, wire or other device shall, thereupon, not be admissible as an evidence in any case and shall be directed to be destroyed.

20. Except as otherwise specifically provided in Section 17, any police officer who :—

Interception and disclosure of wire, electronic or oral communications prohibited.

- (a) intentionally intercepts, endeavours to intercept, or procures any other person to intercept or endeavour to intercept any wire, electronic or oral communication;
- (b) intentionally uses, endeavours to use, or procures any other person to use or endeavour to use any electronic, mechanical or other device to intercept any oral communication when-
 - (i) such device is affixed to, or otherwise transmits a signal through a wire, cable, or other like connection used in wire communication; or
 - (ii) such device transmits communications by radio, or interferes with the transmission of such communication;
- (c) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or having reason to believe that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of Section 17 read with sub-section (4) of Section 19;
- (d) intentionally uses, or endeavours to use, the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or expected to know that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of Section 17 read with sub-section (4) of Section 19; or
- (e) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, intercepted under an order made under section 17-
 - (i) knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of such a communication in connection with a criminal investigation under this Act;
 - (ii) having obtained or received the information in connection with a criminal investigation; and
 - (iii) with intent to improperly obstruct, impede, or interfere with a duly authorised criminal investigation; or
- (f) intentionally continues the interception of wire, electronic or oral communication after decision by the Review Committee under sub-section (4) of Section 19, not to approve order to Competent Authority,

shall for such violation be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine up to rupees fifty thousand.

Special rules of evidence.

21. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code, or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) for the purpose of trial and punishment for offences under this Act or connected offences, the Court may take into consideration as having probative value, the fact that the accused was :—

- (a) on any previous occasion bound under section 107, 108 or 110 of the Code;
- (b) detained under any law relating to preventive detention; or
- (c) on any previous occasion was prosecuted by the special court under this Act.

(2) Where it is proved that any person involved in an organised crime or terrorist act or any person on his behalf is or has at any time been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, the special court shall, unless contrary is proved, presume that such property or pecuniary resources have been acquired or derived by his illegal activities.

(3) Where it is proved that the accused has kidnapped or abducted any person, special court shall presume that it was for ransom.

Certain confessions made to Police Officer to be taken into consideration.

22. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), but subject to the provisions of this section, a confession made by a person before a police officer not below the rank of the Superintendent of Police and recorded by such police officer either in writing or on any devices like cassettes, tapes, sound tracks or video from which sounds or images can be reproduced, shall be admissible in the trial of such person or co-accused, abettor or conspirator:

Provided that the co-accused, abettor or conspirator is charged and tried in the same case together with the accused.

(2) The confession shall be recorded in a free atmosphere in the same language in which the person is examined and as narrated by him.

(3) The police officer shall, before recording any confession under sub-section (1), explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him and such police officer shall not record any such confession unless upon questioning the person making it, he is satisfied that it is being made voluntarily and the concerned police officer shall, after recording such voluntary confession, certify in writing below the confession about his personal satisfaction of the voluntary character of such confession, putting the date and time of the same.

(4) Every confession recorded under sub-section (1) shall be sent forthwith to the Chief Judicial Magistrate having jurisdiction over the area in which such confession has been recorded and such Magistrate shall forward the recorded confession so received to the Special Court which may take cognizance of the offence.

(5) The person of whom a confession has been recorded under sub-section (1) shall also be produced before the Chief judicial Magistrate to whom the confession is required to be sent under sub-section (4) along with the original statement of confession, written or recorded on mechanical device without unreasonable delay.

(6) The Chief Judicial Magistrate shall scrupulously record the statement, if any, made by the accused so produced and get his signature and in case of any complaint of torture, the person shall be directed to be produced for medical examination before a Medical Officer not lower in rank than an Assistant Civil Surgeon.

23. (1) Notwithstanding anything contained in the Code the proceedings under this Act may, for reasons to be recorded in writing, be held in camera, if the special court so decides. **Protection of witnesses.**

(2) A special court may, on an application made by a witness in any proceeding before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of any witness secret.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the measure which a special court may take under that sub-section may include—

- (a) the holding of the proceedings at a place to be decided by the special court;
- (b) the avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to public;
- (c) the issuing of any directions for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed;
- (d) a decision that it is in the public interest to order that all or any of the proceeding pending before such a court shall not be published in any manner.

(4) Any person who contravenes any decision or direction issued under sub-section (3) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees.

24. (1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Act, the special court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both as specified in sub-section (2) of section 21, belonging to the accused and specified in the order, shall stand forfeited to the State Government free from all encumbrances. **Forfeiture and attachment of property.**

(2) Where any person is accused of any offence under this Act, it shall be open to the special court trying him, to pass an order that all or any properties, movable or immovable or both belonging to him and as specified in sub-section (2) of section 21, shall during the period of such trial, attached, and where such trial ends in conviction, the properties so attached shall stand forfeited to the State Government free from all encumbrances.

(3)(a) If upon a report in writing made by an investigating police officer with the approval of the supervisory officer referred to in sub-section (1) of section 17 any special court has reason to believe that any person, who has committed an offence punishable under this Act has absconded or is concealing himself so that he may not be apprehended, such court may, notwithstanding anything contained in section 82 of the Code, publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not earlier than fifteen days but not later than thirty days from the publication of such proclamation:

Provided that if the investigating police officer concerned fails to arrest the accused, who has absconded or is concealing himself, within a period of two months from the date of registering the offence against such person, the officer shall, on the expiry of the said period, make a report to the special court for issuing the proclamation.

(b) The special court issuing a proclamation under clause (a) may, at any time, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person and thereupon the provisions of section 83 to 85 of the Code shall apply to such attachment as if such attachment was made under that Code.

(c) If, within six months from the date of attachment, any person, whose property is, or has been, at the disposal of the State Government appears voluntarily or is apprehended and brought before the special court by whose order the property was attached, or the Court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding apprehension and that he had not received such notice of the proclamation as to enable him to attend within the specified time therein, such property or, if the same has been sold, the net proceeds of the same and the residue of the property, if any, shall, after satisfying all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him.

**M o d i f i e d
application of
certain provisions
of the Code.**

25. (1) Notwithstanding anything in the Code or in any other law, every offence punishable under this Act shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code and the term "cognizable case" as defined in that clause shall be construed accordingly.

(2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act subject to the modifications that in sub-section (2),—

- (a) the reference to "fifteen days" and "sixty days" wherever they occur, shall be construed as references to "thirty days" and "ninety days" respectively;
- (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that if it is not possible to complete the investigation within the said period of ninety days, the special court may extend the said period up to one hundred and eighty days, on the report of the Public Prosecutor indicating the progress of the investigation and the specific reasons for the detention of the accused beyond the said period of ninety days."

(3) Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence punishable under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond, unless,—

- (a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release; and
- (b) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code, the accused shall not be granted bail if it is noticed by the court that he was on bail in an offence under this Act, or under any other Act, on the date of commission of the offence in question.

(6) The limitations on granting of bail specified in sub-section (4) are in addition to the limitations under the Code or any other law for the time being in force relating to granting of bail.

(7) The police officer seeking the custody of any person for preindictment or pre-trial interrogation from the judicial custody shall file a written statement explaining the reason for seeking such custody and also for the delay, if any, in seeking the police custody.

26. (1) In a prosecution for an offence of terrorist act or continuing unlawful activities or organised crime punishable under section 3 and section 4, if it is proved—

Presumption as to offences under Section 3 and Section 4.

- (a) that unlawful arms and other material including documents or papers were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such unlawful arms and other material including documents or papers were used in the commission of such offence; or
- (b) that by the evidence of an expert, the finger prints of the accused were found at the site of the offence or on anything including unlawful arms and other material including documents or papers and vehicle's used in connection with the commission of such offence,

the special court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused had committed such offence.

(2) In a prosecution for an offence punishable under sub-section (2) of section 3, if it is proved that the accused rendered any financial assistance to a person accused of, or reasonably suspected of committing an offence of terrorist act, continuing unlawful activities or organised crime, the special court shall presume, unless the contrary is proved, that such person has committed the offence under the said sub-section (2).

27. (1) Notwithstanding anything contained in the Code,—

Cognizance of and investigation into and offence.

- (a) no information about the commission of an offence of terrorist act or a continuing unlawful activity or organised crime under this Act, shall be recorded by a police officer without the prior approval of the police officer not below the rank of the Deputy Inspector General of Police;
- (b) no investigation of an offence under the provisions of this Act shall be carried over by a police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police.

(2) No special court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of a police officer not below the rank of Inspector General of Police.

28. (1) Where a police officer arrests a person, he shall prepare a custody memo of the person arrested.

Arrest.

(2) The person arrested shall be informed of his right to consult a legal practitioner as soon he is brought to the police station.

(3) Whenever any person is arrested, information of his arrest shall be immediately communicated by the police officer to a family member or in his absence to a relative named by the accused person, by telegram, telephone or by any other means and this fact shall be recorded by the police under the signature of the person arrested.

(4) The person arrested shall be permitted to meet the legal practitioner representing him during the course of his interrogation:

Provided that nothing in this sub-section shall entitle the legal practitioner to remain present during interrogation.

- Overriding effect.** 29. The provisions of this Act or any rules made thereunder or any order made under any such rule shall, have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having the force of law.
- Protection of action taken in good faith.** 30. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder or any order issued under any such rule.
- Power of High Court to make rules.** 31. The High Court may, by notification in the official Gazette, make such rules as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the special courts.
- Power of State Government to make rules.** 32. Without prejudice to the powers of the High Court to make rules under section. 31, the State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- Rules to be laid on table of Legislative Assembly.** 33. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, on the table of Legislative Assembly.
- Power to remove difficulties.** 34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:
- Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Terrorism today has assumed international dimensions wherein terrorist organisations are operating through their modules, sleepers, agents and sympathiser organisations across the country and across nations. Spread of terrorism is seriously threatening the unity, peace and the secular fabric of our society. Organised crime too has now come up as a very serious menace, it knows no national boundaries and is fuelled by illegal wealth generated by contract killings, extortions, robberies, smuggling in contrabands, illegal trade in narcotics, arms and explosives, kidnappings for ransom, collection of protection money and money laundering etc. The illegal wealth and black money generated by the organised crime being very huge, it has deleterious effect on our economy. It is also seen that the organised crime syndicates have made a common cause with terrorist outfits and promote narco-terrorism and illicit trade of arms which extend beyond the national boundaries. There are convincing reasons to believe that subversive elements and organised criminals have become a serious threat to the society and there is an urgent need to effectively curb their activities.

2. It is also noticed that terrorist outfits, unlawful organisations and organized crime syndicates have been making extensive use of wire, electronic and oral communications in their disruptive and criminal activities. The interception of such communications to obtain evidence of the commission of crimes or to prevent their commission would be an indispensable aid to law enforcement and administration of justice.

3. The State Government has, therefore, decided to enact a special law with stringent and deterrent provision for strengthening the existing legal frame work i.e. the penal and procedural laws and the adjudicatory system to curb and control the menace of terrorism, subversive and organised criminal activities.

4. Hence this Bill.

Bhopal:

Dated the 24th February 2010.

UMASHANKAR GUPTA
Member-in-Charge.